न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 37/2018

विकास गुर्जर पुत्र हनुमान गुर्जर निवासी मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.08.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2018 ऑन–लाईन प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

Want to know about money spent by Gram Panchayat Dholi in given period(Feb. 2015- June 2018) Please tell me about money in detail. i.e. how much money is spent which work,place,time etc. Also, I want to know – "There are any charges to get patta of land or not ? and if yes then tell me about charges."

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र क्रमांक 1153 दिनांक 25.07.2018 व 1206 दिनांक 08.08.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र क्रमांक 23964–65 दिनांक 27.07.2018.से जवाब प्रेषित किया है कि पत्र क्रमांक 23962 दिनांक 27.07.2018 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र मूल ही सचिव ग्राम पंचायत धौली पंचायत समिति मालपुरा को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सबंध मे जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र पर नियत समयावधि मे कार्यवाही नही की गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना सचिव, ग्राम पंचायत धोली से प्राप्त कर निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर एंव

प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर

टोंक